


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)
क्रमांक : एफ.18(आई-83)निजभूस/आईडब्ल्यूएमपी/2010-11/1603-4889 दिनांक : 27-1-12

संशोधित राशि हस्तान्तरण आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.18(आई-83)निजभूस/आईडब्ल्यूएमपी/2010-11/6290-6580 दिनांक 05.12.2011 के द्वारा वर्ष 2011-12 में आईडब्ल्यूएमपी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की लागत के 6 प्रतिशत प्राप्त केन्द्रीयांश एस.एल.एन.ए. के खाते से वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर के खाते में राशि हस्तान्तरण की स्वीकृति जारी की गई थी।


उक्त आदेश में उल्लेखित राशि के उपयोग हेतु विभिन्न स्तरों पर उनके आगे अंकित परियोजना की लागत की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर एक प्रतिशत एवं प्रशासनिक व्यय एवं क्षमता निर्माण पर 0.75 प्रतिशत की सीमा हेतु अंकित सारणी में "वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर स्तर पर" के स्थान पर "परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी स्तर पर" पढ़ा जावे।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक

क्रमांक : एफ.18(आई-83)निजभूस/आईडब्ल्यूएमपी/2010-11/1603-4889 दिनांक : 27-1-12

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए., राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री वी.एम.अरोड़ा, निदेशक, डी.डी.पी., भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लॉक-11, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
6. समस्त जिला कलक्टर, (श्रीगंगानगर एवं भरतपुर जिले को छोड़कर)
7. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार सम्बन्धित वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टरको अविलम्ब राशि हस्तान्तरण करे।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर एवं भरतपुर जिले को छोड़कर)
9. संयुक्त निदेशक (एमआईईएस/प्रशासन) निदेशालय, जयपुर।
10. उप निदेशक (IWMP-I/II/III/IV/V/VI/VII/ग्रामीण विकास), निदेशालय, जयपुर।
11. समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर एवं भरतपुर जिले को छोड़कर)
12. समस्त परियोजना प्रबन्धक एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन), वाटरशैड कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (श्रीगंगानगर एवं भरतपुर जिले को छोड़कर)
13. आहरण एवं वितरण अधिकारी, एस.एल.एन.ए., निदेशालय, जयपुर।
14. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं पी.आई.ए., पंचायत समिति-----
15. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश वेब साईट पर तुरन्त अपलोड करावे।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक